2 Rs. COURT FEE २ रु. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

1 Re. COURT FEE १ रु. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

(13)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

R 1125-III/2000

प्रकरण क्रमांक /2000 निगरानी

श्री एस० के० अवस्थी अभि० द्वारा आज दि० 29/6/2000 को प्रस्तुत।

अवर सचिव 19/6
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
29 JUN 2000

१। लल्लूराम पुत्र नाथूराम ब्राह्मण
२। हीरालाल पुत्र नाथूराम ब्राह्मण
निवासीगण ग्राम पन्नी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र०
३। ददनप्रसाद ४। यज्ञनारायण
६। रामगरीब ७। दशरथ ८। राममिलन
पुत्रगण रामकृष्ण, सभी निवासीगण ग्राम पन्नी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

१। राजेशकुमार २। राकेशकुमार
३। नीलेशकुमार तीनों पुत्रगण जवाहरलाल
४। जवाहरलाल पुत्र नाथूराम
सभी निवासीगण ग्राम पन्नी, तहसील मऊगंज, जिला रीवा, म०प्र० ---
प्रतिप्रार्थीगण

29.6.2000

निगरानी विरुद्ध आदेश अपरआयुक्त महोदय रीवा संभाग दिनांक २६-२-२००० अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक 1197/९६-९७ निगरानी।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1125–पीबीआर/2000 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–03–2017	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अभिलेख का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण कमांक 21/अ–6/96–97 में पारित आदेश दिनांक 30–6–97 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी जिसमें तहसीलदार ने प्रचलनशीलता संबंधी आवेदन को निरस्त किया है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 26–2–2000 में निष्कर्ष निकाला है कि विवादित भूमि पर किसा कब्जा है, कब्जा लिखने का आदेश दिया जा सकता है या नहीं तथा विवादित भूमि पर किसे स्वत्व प्राप्त है इन सभी मुद्दों पर विचार/आदेश प्रकरण चलने पर ही संभव है। इसी कारण तहसीलदार का आदेश को स्थिर रखते हुये निगरानी अपास्त की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिका प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 26–2–2000 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	